षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-29.03.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स०	"सरकारी / अर्द्धसरकारी विद्यालयों में वर्षों से एम०डी०एम० रसोईये बच्चों के मध्याह्न भोजन बनाने के साथ-साथ विद्यालय के विकास में कर्त्तव्यनिष्ठ होकर अहम भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण उन्हें सालभर में मात्र 10 महीने का भत्ता 1250/-रू० प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है और उसका भी समय पर भुगतान नहीं होता है । मासिक भत्ता काफी कम है । इन रसोईयों को किसी प्रकार की अन्य सरकारी सुविधा भी नहीं मिल रही है । अतः वर्षों से कार्यरत एम०डी०एम० रसोईयों का देय राशि कम से कम 5000/-रू० तक बढ़ाने तथा अन्य सरकारी सुविधा मुहैया कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० श्री अशोक कुमार, स०वि०स० श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री श्याम रजक, स०वि०स०	''पथ निर्माण विभाग में किसी कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं कर्त्तव्यहीनता के आरोप में प्रपत्र 'क' गठित होने पर उनका पदस्थापन महत्वपूर्ण कार्यस्थल पर किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है । इसके बावजूद राज्य में आरोपित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण कार्य दिया जा रहा है यथा-नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-6476, दिनांक-20.09.2016 द्वारा जिस पदाधिकारी के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं कर्त्तव्यहीनता के आरोप में प्रपत्र 'क' गठित हुआ है, उनका पदस्थापन पथ निर्माण विभाग, दरभंगा में महत्वपूर्ण पद पर कर दिया गया है । अतएव आरोपित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने और जाँच के फलाफल तक उनका पदस्थापन महत्वपूर्ण पदों पर नहीं किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पथ निर्माण

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/17- 2356-2368/वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2017 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पांडव कुमार सिंह 28/3/17
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/17- 2356-2368/वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2017 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

पांडव कुमार सिंह 28/3/17
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।